मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 6–14/2012/अ–ग्यारह भोपाल, दिनांक : 10 .09.2015

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
समस्त प्रबंध संचालक, निगम/मण्डल/बोर्ड,
समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी **(DDOs)**,
मध्यप्रदेश

विषयः म.प्र. भण्डार कय तथा सेवा उपार्जन नियम–2015 के नियम–7 के तहत म.प्र. लघु उद्योग निगम के माध्यम से सामग्री कय हेतु ऑनलाईन कयादेश (इण्डेंट) तथा ऑनलाईन प्रदायादेश (सप्लाई आर्डर) हेतु सिस्टम।

इस विभाग के आदेश कमांक एफ 6–14/2012/अ–ग्यारह दिनांक 28.07.15 द्वारा मध्यप्रदेश भण्डार कय तथा सेवा उपार्जन नियम–2015, (***www.mpindustry.gov.in)*** लागू किये गये हैं। उक्त नियम के नियम–7 में यह प्रावधान है कि कयकर्ता विभाग, कय हेतु सीधे प्रदायकर्ताओं को प्रदायादेश जारी करेंगे।

2. उपरोक्त प्रावधान के पालन में म.प्र. लघु उद्योग निगम लिमिटेड के माध्यम से कय की जाने वाली सामग्री के कयादेश तथा प्रदायादेश सीधे जारी करने हेतु कयकर्ता विभागों के लिए ऑनलाईन इण्डेंट तथा सप्लाई आर्डर सिस्टम ई–पोर्टल **https://mpeprocurement.com** पर उपलब्ध कराया गया है। ऑनलाईन सिस्टम पर कयादेश तथा प्रदायादेश जारी करने के संबंध में निम्नानुसार प्रकिया निर्धारित की जाती है :–

(01) मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड द्वारा भण्डार कय नियमों के अंतर्गत विभिन्न वस्तुओं/सामग्रियों की निविदाएं निर्धारित प्रकिया के अनुसार **e-Tendering portal-https://mpeprocurement.com** के माध्यम से आमंत्रित की जावेंगी। प्राप्त निविदाओं के आधार पर निर्धारित प्रकिया के अनुसार दर निर्धारण के उपरांत निगम द्वारा सफल निविदाकर्ताओं से दर अनुबंध (रेट कान्ट्रेक्ट) सम्पादित कर दर सूची का प्रकाशन ई–पोर्टल **https://mpeprocurement.com** पर किया जावेगा।

........2

(02) म.प्र.लघु उद्योग निगम लिमिटेड द्वारा दर सूची, दर अनुबंध का विवरण तथा अनुबंधित प्रदायकर्ता की जानकारी को एकजाई कर विभागों के उपयोग के लिए ई–पोर्टल पर उपलब्ध कराया जायेगा। इसमें दरें, अनुबंधित प्रदायकर्ता, उनके पते, उत्पादन क्षमता, निविदा में जारी किये गये प्रदायादेशों का विवरण उपलब्ध रहेगा। इसके अतिरिक्त यह भी जानकारी उपलब्ध रहेगी कि सामग्री के प्रदाय पूर्व निरीक्षण हेतु कौनसी एजेंसी अधिकृत है। इन जानकारियों के आधार पर कयकर्ता विभाग/संस्था द्वारा कयादेश (इण्डेंट्स) के साथ–साथ प्रदाय आदेश (सप्लाई आर्डर) स्वयं जनरेट किये जा सकेंगे।

(03) विभागों के कयकर्ता अधिकारी अपने यूजर आई.डी. एवं पासवर्ड तथा डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग करते हुए पोर्टल पर दी गई लिंक **"क्रिएट इण्डेंट"** के माध्यम से वस्तुयें, जिनकी दरें उपलब्ध हैं, का कय आदेश बना कर उसके विरूद्ध प्रदायादेश जारी करने हेतु सक्षम होंगे।

(04) कयकर्ता (विभाग) द्वारा क्रयादेश ई–पोर्टल पर तैयार करने के उपरांत प्रदायादेश जारी करने के मार्गदर्शी सिद्धान्त के आधार पर प्रदायादेश तैयार किया जाकर सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनके डिजिटल सिग्नेचर अटैच करने के उपरांत जारी किया जावेगा। इस अवस्था में कय–आदेश एवं प्रदाय आदेश कयकर्ता, कंसाईनी, प्रदायकर्ता, निरीक्षणकर्ता, तथा म.प्र. लघु उद्योग निगम लिमिटेड को **"प्रोव्हीजनल सप्लाई आर्डर"** के रूप में दिखाई देगा। इकाईयों को सतत सूचना प्राप्त हो इस हेतु विभाग द्वारा आदेश को अंतिम रूप दिए जाने के साथ ही एक ईमेल/एस.एम. एस इकाई के पंजीकृत ई–मेल एड्रेस एवं मोबाईल पर प्रेषित होगा।

(05) प्रोव्हीजनल सप्लाई आर्डर जारी करने के 72 घंटे के अंदर चयनित प्रदायकर्ता (ओं) के द्वारा आर्डर एक्सेप्टेंस आनलाईन दिया जावेगा। एक्सेप्टेंस के लिए उनको म.प्र. लघु उद्योग निगम लिमिटेड में सेवा शुल्क जमा कराना होगा। प्रदायकर्ता से सेवा शुल्क प्राप्त होने पर निगम द्वारा आनलाईन प्रदायादेश कन्फर्म किया जायेगा। यदि प्रदायकर्ता (ओं) का सेवा शुल्क अग्रिम (एडवांस) में म.प्र. लघु उद्योग निगम लिमिटेड के पास जमा हो तो वह उनके खाते से स्वतः डेबिट हो जावेगा। चूंकि रेट कान्ट्रेक्ट निगम एवं प्रदायकर्ताओं के बीच है, म.प्र. लघु उद्योग निगम लिमिटेड को ऑनलाईन प्रदायादेश जारी करना होगा। निगम के द्वारा कन्फर्म होने के पश्चात् प्रोव्हीजनल सप्लाई आर्डर अंतिम सप्लाई आर्डर बनकर निगम के डिजिटल सिग्नेचर से सभी को ऑनलाईन जारी हो जावेगा।

.........3

(06) प्रदायकर्ता द्वारा निगम का सेवा शुल्क जमा न करने की स्थिति में आदेश को अन्य इकाई को डायवर्ट करने हेतु एक ई–मेल क्रयकर्ता विभाग को निगम द्वारा प्रेषित किया जावेगा, जिसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख होगा कि इकाई के द्वारा निगम के सर्विस चार्ज की राशि निर्धारित समय में न जमा करने के कारण आदेश अन्य इकाई को डायवर्ट किए जाने का अनुरोध है।

(07) म.प्र. लघु उद्योग निगम लिमिटेड द्वारा अंतिम रूप से प्रदाय आदेश को डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा जारी किया जावेगा एवं इस प्रदाय आदेश को, क्रयकर्ता, कंसाईनी, प्रदायकर्ता, निरीक्षण एजेंसी एवं निगम द्वारा डाउनलोड कर प्रिंट किया जा सकेगा तथा निगम इसकी हार्ड कॉपी (कन्फर्मेशन कॉपी) को हस्ताक्षरित कर सभी संबंधितों को प्रेषित करेगा।

(08) सामग्री के प्रदाय की सतत् सूचना पोर्टल पर उपलब्ध रहे, इस हेतु पोर्टल पर विभाग तथा निरीक्षणकर्ता एजेंसी ऑनलाईन जानकारी प्रस्तुत करेंगे। निगम द्वारा प्रदाय आदेशों के विरूद्ध सामग्री के त्वरित प्रदाय हेतु कार्यवाही की जावेगी एवं इसकी सतत् मॉनीटरिंग निगम स्तर पर होगी। प्रदाय आदेश के जारी होने के बाद प्रदायावधि (डिलिवरी पीरियड) के आधे समय के उपरांत निगम को तथा विभाग को एक ई–मेल/पॉप–अप मिलेगा, इस आधार पर निगम व विभाग प्रदायकर्ता को स्मरण पत्र भेज सकेंगे तथा फालोअप कर सकेंगे।

(09) प्रदायकर्ता पोर्टल पर सामग्री के प्रदाय की स्थिति विभाग से प्राप्त रसीद के आधार पर अपडेट कर सकेंगे। साथ ही इस रसीद का **PDF/Scan Copy** भी अपलोड कर सकेंगे। प्रदायकर्ता द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर विभाग को एक ई–मेल तथ्यों की पुष्टि हेतु प्रेषित किया जावेगा।

(10) प्रदायकर्ता **"पेमेंट स्टेटस लिंक"** के अंतर्गत उनको विभाग से प्राप्त भुगतान का स्टेटस प्रस्तुत कर सकेंगे। **Status "payment pending"** होने की दशा में इस आशय का एक मेल विभाग को तथा निगम को प्राप्त होगा, जिस आधार पर निगम विभाग से त्वरित भुगतान हेतु कार्यवाही का अनुरोध कर सकेगा।

... .4

3. ऑनलाईन इण्डेंट एवं सप्लाई आर्डर सिस्टम हेतु विभाग स्तर पर निम्न तैयारी किया जाना है :–

(01) कयकर्ता विभागों एवं कयकर्ता कार्यालयों **(DDOs)** द्वारा निगम के ई–पोर्टल **https://mpeprocurement.com** के माध्यम से कय आदेश / प्रदाय आदेश जारी करने हेतु उनको यूजर आई.डी. एवं पासवर्ड प्राप्त करना होगा। इस हेतु विभाग / **DDO** द्वारा आवश्यक जानकारी पोर्टल पर प्रस्तुत की जावेगी एवं पासवर्ड एक्टीवेशन के लिए ई–मेल **mplun@C1india.com** पर प्रेषित किया जावेगा।

(02) कयकर्ता विभाग / कयकर्ता **DDO** से आवश्यक जानकारी एवं ई–मेल प्राप्त होने के उपरांत तत्काल निगम द्वारा विभाग का यूजर आई.डी. एवं पासवर्ड एक्टीवेट कर ई–मेल से सूचित किया जावेगा।

(03) प्रत्येक कयकर्ता विभाग / कयकर्ता **DDO** से कय आदेश तथा प्रदाय आदेश जारी करने हेतु संबंधित अधिकारियों / **DDOs** को डिजिटल सिग्नेचर की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। अर्थात् सभी कयकर्ता संस्थाओं / **DDOs** को स्वयं डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करना अनिवार्य है। यह अनिवार्यता शासन के वित्त विभाग एवं आई.टी. विभाग के द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप है।

4. कयकर्ता विभाग / कयकर्ता **DDO** द्वारा कय आदेश पोर्टल पर बनाए जाने के उपरांत, अपने स्तर पर इस कय आदेश में उल्लेखित सामग्री की मात्रा हेतु प्रदायादेश जारी करते समय कय मात्रा का वितरण (डिस्ट्रीब्यूशन) अनुबंधित प्रदायकर्ताओं के मध्य निम्न मार्गदर्शी सिद्धान्त के आधार पर करेंगे :–

(i) सामग्री उत्पादित करने वाली स्थानीय इकाई को, उसकी कैपेसिटी के अनुसार प्राथमिकता। स्थानीय इकाई का अर्थ है कि जहां सामग्री प्रदाय करना है, उसी स्थान / शहर / ब्लॉक / जिले में स्थित इकाई।

(ii) स्थानीय स्तर पर एक से अधिक इकाई उपलब्ध होने की दशा में, इकाईयों के मध्य उनकी कैपेसिटी एवं पूर्व आदेशों की प्रदाय स्थिति के अनुसार वितरण करना है।

(iii) स्थानीय स्तर पर इकाई उपलब्ध न होने की दशा में, निकटतम इकाईयों के मध्य उनकी कैपेसिटी, पूर्व आदेशों की प्रदाय स्थिति के अनुसार।

...........5